ग्राम पंचायत घड़याच, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हि• प्र• के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग—एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत घड़याच, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव के पद पर कार्यरत थेः—

(i) प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमति ब्यासा देवी	01.04.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्री गोविन्द राम	23.01.2016 से 31.03.2018 तक

(ii) सचिव

1	श्री कपिल देव	01.04.2015 से 02.07.2015 तक
2	श्री प्रेम चन्द	03.07.2015 से 31.03.2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत घड़याच, विकास खण्ड नालागढ, जिला सोलन के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹)(लाखों में)
1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9	0.31
2	अनुदान की राशि उपयोग हेतु शेष	10	14.56
3	बिना उचित बिलों के किया गया अनियमित व्यय	11	0.24

4	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर वस्तुओं का क्रय करना	12	1.10
5	नियमविरूद्ध सीमा से अधिक राशियों का नकद भुगतान करने सम्बन्धी अनियमितता	15	1.70

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत घड़याच, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टीकल सहायक द्वारा अवधि 01/10/2018 से 05/10/2018 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया तथा लेखाओं में दर्ज आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु निम्न मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015–16	03/2016	09/2015
2016–17	10/2016	11/2016
2017–18	11/2017	01/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत घडयाच, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2018/248 दिनाँक 04.10.2018 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि जे0सी0सी0 बैंक नालागढ़ के मल्टीसिटी चैक संख्या 175975 दिनांक 04.10.2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2018/–217 दिनांकः 31/08/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹) (कॉलम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कॉलम 4×5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2015–16	405496	1398370	1803866	892024	911842
2016–17	911842	3077513	3989355	2657872	1331483
2017–18	1331483	1659725	2991208	1535214	1455994

वित्तीय स्थिति पर अपेक्षित अंकेक्षण टिप्पणियाँ निम्न प्रकार से हैः–

(i) चूंकि ग्राम पंचायत घड़याच द्वारा रोकड़ बहियों में नियमानुसार अन्तशेषों की गणना नहीं की गई है और न ही बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाती है। अतः वित्तीय स्थिति हेतु आरम्भिक शेष बैंक खातों के आधार पर लिए गए है।

(ii) ग्राम पंचायत घड़याच द्वारा नरेगा तथा हरियाली परियोजना के अतिरिक्त समस्त आय–व्यय का लेखांकन खाता "क व ख" की संयुक्त रोकड़ बही में ही किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बन्धित खाता बही तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं कया गया है। इस कारण से पंचायत के स्वः स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।

(iii) खाता बही तथा वर्गीकृत सार के अभाव में स्वः स्त्रोतों का पूर्ण विवरण तैयार करना व इसकी विस्तृत जाँच करना सम्भव नहीं हो पाया है। अंकेक्षणावधि में स्वः स्त्रोतों से सम्बन्धित मात्र उन्हीं आंकड़ों की परख की गई है जोकि पंचायत द्वारा खाता "क व ख" की संयुक्त रोकड़ बही में दर्ज किए गए थे।

(iv) उपरोक्त वित्तीय स्थिति के इतिशेष तथा अन्तशेष में जलागम परियोजना से सम्बन्धित लाभार्थी अंशदान के बैंक खाता संख्य 27940 में दिनांक 01.04.2015 के आरम्भिक शेष ₹57074 तथा दिनांक 31.03.2018 के अन्तशेष की ₹64138 की राशि को पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट–1** द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार शामिल किया गया है जबकि पंचायत द्वारा इस निधि को पंचायत निधि का भाग नहीं बनाया गया था।

5 बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत घड़याच की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2018 के ₹1454203 के अन्तशेष तथा बैंक खातों में जमा राशि में अन्तर से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी यथा **परिशिष्ट ''2''** अनुसार निम्नानुसार है:—

क्र0सं0	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति			
1	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) दिनांक 31.3.18 को शेष			1455994
बैंक खातों में दिनांक 31.3.18 को उपलब्ध अन्तशेष				
	विवरण	बैंक	खाता	
1	खाता 'क' व 'ख'	जोगिन्द्रा सह• बैंक नालागढ़	00201	54106
2		जोगिन्द्रा सह• बैंक नालागढ़	00357	1179485
3		जोगिन्द्रा सह• बैंक नालागढ़	00126	42498
4		पी• एन• बी• नण्ड	38704	69341
5		पी• एन• बी• नण्ड	57028	917
6	इन्दिरा/राजीव आवास योजना	पी• एन• बी• नण्ड	27140	43141
7	जलागम परियोजना लाभार्थी अंशदान	पी• एन• बी• नण्ड	27940	64138
8	खाता 'क' व 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दिनांक 31.3.18 को दर्शाया गया हस्तगत रोकड़ शेष			326
कुल योग (ख)				1453952
बैंक समाधान विवरणी:—				
रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.18 को अन्तशेष				1455994
घटाव				
1. दिनांक 08.07.2016 को चैक संख्या 054824 द्वारा किया गया ₹26230 का आर. टी. जी. एस. भुगतान जिसके विरूद्ध बैंक द्वारा ₹26320 अन्तरित किए गए हैं। इस प्रकार ₹90 का अधिक अन्तरण				(—) 90
2. खाता संख्या 38704 में दिनांक 07.07.2016 को लगाए गए बैंक प्रभार जिनको रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया				(—) 17
3. खाता संख्या 38704 में दिनांक 06.01.2017 को लगाए गए बैंक प्रभार जिनको रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया				(—) 17
4. खाता संख्या 38704 में दिनांक 23.01.2017 को लगाए गए बैंक प्रभार जिनको रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया				(—) 104
5. खाता संख्या 38704 में दिनांक 04.04.2017 को लगाए गए बैंक प्रभार जिनको रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया				(—) 17
6. जोगिन्द्रा बैंक खाता संख्या 00357 में 30.03.2018 को अर्जित ₹10882 के ब्याज का गलती से रोकड़ बही पृष्ठ 75 पर ₹10885 के रूप में किया गया लेखांकन जोकि ₹3 अधिक थां				(—) 3
7. खाता संख्या 00357 में दिनांक 27.03.2018 को लगाए गए बैंक प्रभार जिनको				(—) 3

रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गयाः–	
उपरोक्त आठ मदों के योग ₹2042 को घटाने के पश्चात रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 का संशोधित/समायोजित अन्तशेष	1453952
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2018 का अन्तशेष	1453952
अन्तरः–	शून्य

नोटः– उपरोक्त तालिका में घटाव के क्रमांक 1 से आठ पर दर्शाए लेनदेन को प्राथमिकता के आधार पर रोकड़ बही में लेखांकित किया जाए।

6 **जलागम परियोजना के लाभार्थी अंशदान के बैंक खाते में अर्जित आय तथा दिनांक 31.3.2018 का उपलब्ध अन्तशेष की ₹0.64 लाख की राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करना**

(i) ग्राम पंचायत घड़याच के लेखाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि जलागम परियोजना की वर्ष 2014–15 में समाप्ति क पश्चात इससे सम्बन्धित लाभार्थी अंशदान के बैंक खाता संख्या 27940 में दिनांक 31.3.2018 को उपलब्ध ₹64,138 की राशि का किसी भी रोकड़ बही में लेखांकन नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त इस खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान अर्जित कुल ₹7064 के ब्याज में से मात्र ₹1791 की राशि का ही लेखांकन रोकड़ बही में 01/2018 में पृष्ठ 66 पर किया गया था तथा शेष ₹5273 की राशि का कोई लेखांकन नहीं किया गय था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके बारे में उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर इस राशि को पंचायत निधि का भाग बनाने हुए रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट 1 में उक्त उप पैरा में वर्णित ब्याज की राशि ₹1791 को मुख्य रोकड़ बही के पृष्ठ 66 पर दिनांक 08.01.2018 को आय तथा जलागम परियोजना के लाभार्थी अंशदान की आय में भी दो बार शामिल किया गया है। इस कारण से पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति में अन्तशेष ₹1455994 दर्शाया गया है जबकि वास्तव में यह ₹1454203 था जिसे आवश्यक संशोधनोपरान्त अंकेक्षण द्वारा बनाई गई वित्तीय स्थिति में गत पैरा 4 में दर्शाया गया है। दोनों वित्तीय स्थितियों के अन्तर ₹1791 (1455994–1454203) को पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई वित्तीय स्थिति की बैंक समाधान विवरणी में क्रमांक 6 पर समायोजन प्रविष्टि के रूप में दर्शाया गया है। यह गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस प्रकार की चूक को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का संधारण/अनुरक्षण न करना

पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की जा रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में तीन अलग – अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन तीन रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में बही खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार के बही खातों का अनुरक्षण नहीं किया गया है जो कि अनुचित है।

(ग) नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी।

इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अनुपालना नहीं की गई है।

(घ) नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है।

(ङ) नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पंचायत के लिए किसी भी प्रकार का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया समस्त ₹50,85,110 का व्यय अनियमित है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसे अब सक्षम उच्चाधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(च) नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर वर्णित समस्त अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.31 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. सोलन/एल.ए.डी./2018/–217 दिनांकः –31/08/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक पंचायत राजस्व ₹31,080 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

(क) गृहकर बकाया ₹0.19 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2015–16 में 252 व 2016–17 में 252 तथा 2017–18 में 262 परिवार, दर ₹20 प्रति परिवार प्रतिवर्ष

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015–16	45360	5040	50400	19200	31200
2016–17	31200	5040	36240	4780	31460
2017–18	31460	5240	36700	17620	19080

(ख) मोबाईल टॉवर शुल्क ₹0.12 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत क्षेत्र में स्थापित दो मोबाईल टॉवरों के विरूद्ध निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 को ₹12000 की राशि वसूली हेतु बकाया थीः–

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015–16	0	3700	3700	3700	0
2016–17	0	5700	5700	3700	2000
2017–18	2000	10000	12000	0	12000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अनुदानों की राशि ₹14.56 लाख उपयोग हेतु शेषः–

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलसापुर/एल.ए.डी. /2018/–217 दिनांकः –31/08/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना, जो कि **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31–03–2018 तक अनुदानों से प्राप्त राशियों में से ₹14,55,994 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के

दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए वर्णित अनुदानों की राशि को सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 बिना उचित बिलों के किया गया ₹0.24 लाख का अनियमित व्यय

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु वाउचर के रूप में विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत घड़याच के अंकेक्षणावधि के चयनित माह के व्यय वाउचरों का प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹23,500 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

क्र0सं0	दिनांक	रो0 ब0 पृष्ट	वाउचर सं.	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बही				
1	16.09.2015	103	36	पत्थर	5500
2	28.11.2016	21	52	पत्थर	13000
3	29.11.2016	22	57	रेत ढुलाई	5000
				कुल योग	**23500**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय अनियमित एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। वर्णित अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–249 दिनांकः 04/10/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इन प्रकरणों तथा ऐसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान/व्यय उचत न पाए जाने की अवस्था में

नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.10 लाख के स्टॉक/स्टोर वस्तुओं का क्रय करना

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर वस्तुओं का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत घड़याच के व्यय वाउचरों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1,09,560 की स्टॉक/स्टोर वस्तुओं का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित हैः–

क्र0सं0	दिनांक	रो0ब0 पृष्ट	वाउचर सं.	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बही				
1	16.09.2015	103	36	पत्थर	5500
2	24.09.2015	103	40	रेत, पत्थर	6875
3	24.09.2015	103	41	रेत, पत्थर	36175
4	28.11.2016	21	52	पत्थर	13000
5	29.11.2016	22	57	रेत ढुलाई	5000
6	10.01.2018	67	74	रेत, बजरी	32870
7	10.01.2018	67	75	रेत, बजरी	10140
				कुल योग	**109560**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया था। वर्णित अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–249 दिनांकः 04/10/2018 द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय उपरोक्त सन्दर्भित नियमों के अनुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में विहित नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर वस्तुओं का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत घड़याच द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः—

(i) मस्ट्रौल के भाग—3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है, को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल के अन्तर्गत किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। उदाहरण स्वरूप निम्न प्रकरणों में पंचायत निधि खाता ''ख'' में दर्ज/भुगतान किए गए मस्ट्रौल तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थेः—

क्र0सं0	दिनांक	रो0ब0 पृष्ठ	वाउचर	मस्ट्रौल क्रमांक	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बही				
1	24.09.2015	103	39	6063	7650
2	29.11.2016	22	56	6072	6498
3	27.01.2018	67	76	9403	17850
4	27.01.2018	67	77	9406	25830
5	27.01.2018	68	78	9402	5670
6	27.01.2018	68	79	9405	18618

(ii) प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया था।

(iii) मनरेगा के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी आधार पर मूल्यांकन/सत्यापन नहीं किया गया था जिसके कारण भुगतान राशि को निष्पादित प्रमात्रा के आधार पर अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका ।

(iv) मस्ट्रौल में एक–दो कालम को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वर्णित अभिलेख में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जाना

पंचायत सचिव़ तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2018/–217 दिनांकः –31/08/2018 के प्रत्युत्तर में मनरेगा परियोजना से सम्बन्धित प्रस्तुत सूचना व अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा था तथा इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) अधूरे रोजगार कार्डः– रोजगार कार्ड अधूरे पाए गए जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई थी।

(ख) रोजगार आवेदनों का अभिलेख न रखा जानाः– मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया था जबकि वर्णित अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के दौरान किया गया ₹10.96 लाख का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट ''3''** के अनुसार 5154 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती हैं ।

मनरेगा अभिलेख के रख–रखाव में उपरोक्त कमियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देश जारी करने हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 नियमविरूद्ध सीमा से अधिक ₹1.70 लाख की राशियों का नकद भुगतान सम्बन्धी अनियमितता

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(1 व 2) के अनुसार ₹1000 तक का ही भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है तथा इससे अधिक का भुगतान अनिवार्यतः चैक द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान बहुत से भुगतान नकद रूप में किए गए प्रतीत होते हैं क्योंकि अधिकतर मामलों में कई–कई भुगतानों के लिए बैंक आहरण सामूहिक रूप से एक ही चैक द्वारा किया गया है जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं/आपूर्तीकर्ताओं को भुगतान नकद रूप में किया गया था। इस अनियमितता से सम्बन्धि ₹1,69,955 के अनियमित नकद भुगतान के कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उद्धृत किए गए हैं। अतः नियमविरूद्ध इस प्रकार नकद भुगतान की करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही कार्यवाही/भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**दिनांक**	**खाता संख्या**	**चैक संख्या**	**आहरित राशि**	**आहरणकर्ता**
1	03.07.15	38704	54797	2680	श्री कपिल देव सचिव
2	25.07.15	38704	54799	14790	श्री प्रेम चन्द सचिव
3	11.08.15	38704	54800	49000	श्रीमति ब्यासां देवी प्रधान
4	29.09.15	38704	54805	7650	श्री प्रेम चन्द सचिव
5	17.12.15	38704	54816	2800	श्री प्रेम चन्द सचिव
6	22.01.16	38704	54817	18875	श्री प्रेम चन्द सचिव
7	15.03.16	38704	54820	1000	श्री प्रेम चन्द सचिव
8	31.03.16	38704	54823	18380	श्री गोबिन्द राम प्रधान
9	08.06.16	00201	164058	6720	श्री गोबिन्द राम प्रधान
10	08.06.16	00201	164064	7500	श्री प्रेम चन्द सचिव
11	08.07.16	00201	164061	1400	श्री प्रेम चन्द सचिव
12	29.09.16	00201	164077	4500	श्री प्रेम चन्द सचिव
13	05.12.16	00201	164080	3000	श्री प्रेम चन्द सचिव
14	06.02.17	00201	164086	11060	श्री गोबिन्द राम प्रधान
15	21.11.17	00201	175960	2600	श्री प्रेम चन्द सचिव
16	15.12.17	00201	त्ज्ळै	18000	श्री गोबिन्द राम प्रधान
	कुल योग			**₹169955**	

16 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएं**

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2018/–217 दिनांकः –31/08/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैंः–

(i) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 196(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिष्ट – ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था।

(ii) इन बिलों के अन्तर्गत निष्पादित कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया था जिसके कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा तकनीकी मूल्यांकन विवरण भी दर्ज नहीं किया गया था।

(iii) हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिसके कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो पाया।

(iv) हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार निष्पादित निर्माण कार्यों की नमूना जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा निर्माण

कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा ऐसे में किसी दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं0वृ0 बिलासपुर/एल0ए0डी0/2018/–249 दिनांकः 04/10/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः नियमों के अनुसार निर्माण कार्य निष्पादन से सम्बन्धित अभिलेख न रखने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उपरोक्त वर्णित अनियतताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित यथोचित कार्यवाही करते हुए सक्षम प्राधिकारी की विशेष प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भुगतान गलत पाए जाने की अवस्था में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण कार्य निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का नियमानुसार रख रखाव न करना

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग भण्डार पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत घड़याच द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया था जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित हैः–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
7	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
8	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

21 **निष्कर्षः—** लेखों के नियमानुसार रख रखाव व अद्यतन की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (xv)(4) 49/2018 खण्ड—1—213—216 दिनांक 8.1.19 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत घड़याच, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील रामशहर, जिला सोलन (हि0प्र0) पिन—174101 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881